रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241283 CG-DL-E-22122022-241283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5720]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5720] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 20 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5958(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5355 (अ) दिनांक 23.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में NH-148N के कि.मी. 363+017 से कि.मी. 392+625 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा **3क** की उपधारा (3) के अधीन तारीख 08.01.2022 को **"द टाईम्स ऑफ इंग्डिया"** और **"दिव्य भास्कर"** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

8526 GI/2022 (1)

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में NH-148N के कि.मी. 363+017 से कि.मी. 392+625 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य व	राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: वडोदरा						
क्रमिक संख्या	<u> </u>	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: सावली						
	गांव का नाम: अंजेसर						
1	96/B	निजी	कृषि	0.0225	पटेल रोहितभाई अंबालाल (९६/ब)		
	गांव का नाम: माल आकलीया						
2	167	निजी	कृषि	0.9992	ब्रहमभट्ट रमाबेन मफतभाई ब्रहमभट्ट सदगुणाबेन मफतभाई ब्रहमभट्ट भावनाबेन मफतभाई भार्गवी महेशभाई ब्रहमभट्ट ब्रहमभट्ट कल्पनाबेन महेशभाई ब्रहमभट्ट आकाश महेशभाई ब्रहमभट्ट भार्गवी महेशभाई (पार्ट सर्वेक्षण संख्या : 167/2 पैकी) (१६७/२ पैकी)		
3	167	निजी	कृषि	0.0218	शांन्तीलाल गोकलभाई अधारा (पार्ट सर्वेक्षण संख्या : 167/1/अ/पैकी 1) (१६७/१/अ/पैकी १)		
	गांव का नाम: पासवा						
4	347	निजी	कृषि	0.0025	पटेल दिलीपभाई नारणभाई (पार्ट सर्वेक्षण संख्या : 347/2) (३४७/२)		
	गांव का नाम: प्रताप नगर						
5	110/2	निजी	कृषि	0.6269	पटेल सुरेन्द्रभाई त्रिभोवनभाई पटेल कुसुमबेन सुरेन्द्रभाई पटेल नितीनभाई तुलसीदास पटेल अमीतभाई तुलसीदास पटेल योगेशभाई तुलसीदास (पार्ट		

					सर्वेक्षण संख्या : 110/2/ पैकी 1/पैकी 2 , 110/2/ पैकी 2) (११०/२)
			कुल	1.6729	

फा. सं. NHAI/PIU-GDA/BM/DVE-GUJ/2018/LA/3a2/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O 5958(E).—In Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 5355(E)** dated 23.12.2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning etc.), maintenance, management and operation of NH-148N on the stretch of land from Km. 363+017 to Km. 392+625 in the district of Vadodra in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Divya Bhaskar" both dated 08.01.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling on NH-148N in the stretch of land from Km. 363+017 to Km. 392+625 in the district of Vadodra in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: Vadodra					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.		
1	2	3	4	5	6		
	Taluk: Savli						
	Viilage: Anjesar						
1	96/B	Private	Agriculture	0.0225	Patel Rohitbhai Ambalal 96/B		
	Viilage: Mal Aakaliya						
2	167	Private	Agriculture	0.9992	Brahambhatt Ramaben Mafatbhai Brahambhatt Sadgunaben Mafatbhai Brahambhatt Bhavnaben Mafatbhai Bhargavi Maheshbhai Brahambhatt Brahambhatt Kalpanaben Maheshbhai		

					Brahambhatt Aakash Maheshbhai Brahambhatt Bhargavi Maheshbhai (Part Survey Number : 167/2 Paiki) 167/2 Paiki		
3	167	Private	Agriculture	0.0218	Shantilal Gokalbhai Adhara (Part Survey Number : 167/1/A/Paiki 1) 167/1/A/Paiki 1		
	Viilage: Pasva						
4	347	Private	Agriculture	0.0025	Patel Dilipbhai Naranbhai (Part Survey Number : 347/2) 347/2		
	Viilage: Pratap Nagar						
5	110/2	Private	Agriculture	0.6269	Patel Surendrabhai Tribhovanbhai Patel Kusumben Surendrabhai Patel Nitinbhai Tulsidas Patel Amitbhai Tulsidas Patel Yogeshbhai Tulsidas (Part Survey Number: 110/2/Paiki 1/Paiki 2, 110/2/Paiki 2)		
			TOTAL	1.6729			

[F. No. NHAI/PIU-GDA/BM/DVE-GUJ/2018/LA/3a2/3D]

RAJESH GUPTA, Director